27-3-23	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट आ चुकी है। प्रार्थनापत्र पर सुना गया। प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार से है कि प्रार्थीगण नरेन्द्रकुमार व सुरेन्द्रकुमार पि0 भीमराज जाति जाट निवासी चक 14 पीबी ए हाल आबाद 4 एफसी तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर राज0 के है। जो कि हम प्रार्थीगण के नाम से चक 14 पीबी ए के मु0नं0 89/1 के किला नं0 1 ता 19 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है जो कि प्रार्थीगण के इसी मुरब्बा में किला नं0 20 ता 25 आराजीराज है तथा प्रार्थीगण आराजीराज भूमि के किला नं0 20, 21 में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण को आराजीराज भूमि के किला नं0 20 व 21 में रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावें। तहसीलदार खाजूवाला/त.खा. /रीडर/23/358 दिनांक 17.03.23 की रिपोर्ट अनुसार चक 14 पीबी ए के मु0नं0 89/1 के कि0नं0 1 ता 19 की 4.8051 है0 कृषि भूमि नरेन्द्रकुमार, सुरेन्द्रकुमार पि0 भीमराज जाति जाट निवासी 4 एफसी तहः करणपुर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण के उक्त मु0नं0 89/1 की शेष भूमि किला नं0 20 ता 25 आराजीराज दर्ज है। किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता दर्ज है परन्तु प्रार्थीगण को उक्त भूमि में जाने के लिए रास्ता नहीं है। अतः मु0नं0 89/1 के किला नं0 20, 21 में 2–2 बिस्वा रास्ता, प्रार्थी को आवागमन के लिए प्रस्तावित किया जाता है। बहस सुनी गई। पत्रावली व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है इसलिए धारा 251 ए आरटीएक्ट व 151 सीपीसी के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 14 पीबी ए के मु0नं0 89/1 के किला नं0 20, 21 में 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार खाजूवाला नियमानुसार इस रकबे की दोगुना डीएलसी 19200/–रुपये जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें। निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।	